



HAMIRPUR POLICE



थाना राठ/जरिया/मुस्करा

दिनांक 10.03.2023

लूट/चोरी की 06 घटनाओं का खुलासा, 10 अभियुक्त लूट/चोरी के माल

(24570/- रु0), 06 अवैध असलहा/ 08 कारतूस व घटना में प्रयुक्त 03

वाहन सहित गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना राठ, जरिया व मुस्करा पुलिस द्वारा कुल 06 लूट/चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए कुल 10 अभियुक्तों को लूट/चोरी के माल, अवैध असलहा/कारतूस व घटना में प्रयुक्त वाहनों सहित गिरफ्तार किया गया, क्रमशः-

➤ **थाना राठ अंतर्गत लूट/चोरी की 02 घटनाओं का खुलासा, 03 अभियुक्त लूट का माल, 01 अवैध तमंचा/ 02 कारतूस व वाहन सहित गिरफ्तार-**

क्षेत्राधिकारी राठ के नेतृत्व में थाना राठ पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र अंतर्गत बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर ट्रक संख्या (यू0पी0 83 टी 8265) के वाहन स्वामी/चालक श्री इन्दल सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी ग्राम नगला मानधाती थाना एका जनपद फिरोजाबाद के साथ दिनांक 03.03.2023 को सड़क के किनारे खड़े उक्त ट्रक की खिडकी का शीशा तोड़कर वाहन स्वामी/चालक इन्दल सिंह को तमंचा दिखाकर पन्द्रह हजार रूपये लूट लेने की घटना के सम्बन्ध में थाना राठ पर मु0अ0सं0-94/23 धारा-392/411 भा0द0सं0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था, उक्त लूट की घटना का खुलासा करते हुए आज दिनांक 10.03.2023 को 03 अभियुक्तगण 1. मुन्नू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र भगत सिंह नि0 ग्राम परा थाना राठ जिला हमीरपुर 2. करन राजपूत पुत्र टेकचन्द्र राजपूत निवासी ग्राम न्यूरी बासा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर 3. आकाश पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम नन्दना थाना राठ जिला हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल (रेडमी), 01 मोबाइल (टच स्क्रीन), 01 मोबाइल (वन प्लस), 14570/- रुपये, 01 लोडर महिन्द्रा मैक्सिमो (यू0पी0 79 टी 2805) बरामद किए गए, पूछताछ के क्रम में अभियुक्त मुन्नू उर्फ पुष्पेन्द्र राजपूत ने बताया कि दिनांक 03.11.2022 को अपने साथियों करन राजपूत आदि के साथ मिलकर राठ-पनवाडी रोड पर मण्डी समिति के पास मार्बल्स शोरूम से एक लाख दस हजार रूपये चोरी किये गये थे, इसमें कुछ रूपये उसी चोरी की घटना का माल है तथा अन्य रूपये उनके द्वारा खर्च कर दिए गए। जिसके सम्बन्ध में थाना राठ पर मु0अ0सं0-620/22 धारा-379/411 भा0द0सं0 पंजीकृत किया गया था, गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1) मुन्नू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम परा थाना राठ जिला हमीरपुर,
- 2) करन राजपूत पुत्र टेकचन्द्र राजपूत निवासी ग्राम न्यूरी बासा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर,
- 3) आकाश वशोर पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम नन्दना थाना राठ जिला हमीरपुर,

बरामद माल-**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. 01 तमंचा 315 बोर,
2. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर,
3. 03 मोबाइल,
4. 14570/- रुपये नकद
5. 01 लोडर महिन्द्रा मैक्सिमो

1. 30नि0 संजय यादव
2. 30नि0 शिवदान सिंह हमराही
3. हे0का0 हिमाशु प्रताप गौतम

4. का0 अनिल कुमार
5. का0 अमर पटेल
6. का0 मनीष पाल

➤ थाना जरिया अंतर्गत लूट की घटना के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, 03 अभियुक्त लूट का माल, 02 अवैध तमंचा/ 03 कारतूस व वाहन सहित गिरफ्तार-

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी सरीला के नेतृत्व में थाना जरिया पुलिस द्वारा दिनांक 28.02.2023 को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर रात्रि के समय ट्रको के शीशे तोडकर चालक एवं परिचालक से मारपीट कर 10000 रूपये की लूट की घटना के सम्बन्ध मे पंजीकृत मु0अ0सं0-68/23 धारा-392/506/427 भा0द0सं0 के वांछित अभियुक्तगण 1. धनपत पुत्र देवीदीन अनुरागी निवासी मु0 मांझखोर वार्ड नं0 07 अस्पताल के पीछे कस्बा सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर, 2. राघवेन्द्र उर्फ रघू राजपूत पुत्र लालदीवान निवासी ग्राम महेरा थाना बिवार जनपद हमीरपुर तथा प्रकाश मे आये अभियुक्त 3. नीलेन्द्र उर्फ नीलू पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम पहरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर को आज दिनांक 10.03.2023 को एक तमंचा 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर, 03 जिंदा कारतूस, एक डण्डा, एक लोडर तथा लूट के 4000/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना जरिया पर मु0अ0सं0-72/23 धारा-3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

1. अभि0 राघवेन्द्र उर्फ रघू राजपूत पुत्र लालदीवान का आपराधिक इतिहास:-

क्रसं00	अ0 सं0	धारा	थाना	जनपद
01	147/21	3/आर्म्स एक्ट 25	जलालपुर	हमीरपुर
02	154/21	380/भा0द0सं0 457	बिंवार	हमीरपुर
03	163/21	3/आर्म्स एक्ट 25	बिंवार	हमीरपुर
04	68/2023	392/506/427 भा0द0सं0	जरिया	हमीरपुर
05	72/23	3/25 आर्म्स एक्ट	जरिया	हमीरपुर

2. अभि0 नीलेन्द्र उर्फ नीलू पुत्र अरविन्द का आपराधिक इतिहास:-

क्रसं00	अ0 सं0	धारा	थाना	जनपद
01	317/21	323/504/506 भा0द0सं0	जरिया	हमीरपुर
02	68/2023	392/506/427 भा0द0सं0	जरिया	हमीरपुर
03	72/23	3/25 आर्म्स एक्ट	जरिया	हमीरपुर

बरामदगी का विवरण:-

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 01 तमंचा 315 बोर | 03 मोबाइल फोन |
| 01 जिंदा कारतूस 315 बोर | 01 डण्डा |
| 01 तमंचा 12 बोर | 01 लोडर |
| 02 जिंदा कारतूस 12 बोर | 4000/- रूपये नकद |

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. 30नि0 दिनेश कुमार सिंह
2. हे0का0 शिवेन्द्र सिंह
3. हे0का0 कमलकान्त
4. का0 संजीव कुमार
5. का0 भूपेन्द्र निरंजन

➤ थाना मुस्करा अंतर्गत लूट व चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट/चोरी का माल, 03 अवैध तमंचा/ 03 कारतूस व वाहन सहित बरामद:-

दिनांक 10.03.2023 की रात्रि को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था व अपराध नियंत्रण हेतु की जा रही गश्त के दौरान बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे पर लूट की घटनाओं से सम्बन्धित अभियुक्तों की सूचना के आधार पर थाना मुस्करा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कॉपियो वाहन को रोका गया पुलिस को देख कर वाहन चालकों द्वारा भागने का प्रयास किया गया जिसको पुलिस टीम द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया, गिरफ्तार 04 अभियुक्तों से जामा तलाशी में 03 अवैध असलहा, 03 जिंदा कारतूस, 01 चाकू, 01 लोहे की रॉड़, 02 पर्स, 03 मोबाइल, 6000/- रुपये नकद बरामद हुए। आरोपियों से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि वह लोग बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे पर ट्रक ड्राइवरो को असलहा दिखाकर डराधमका कर लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, अभियुक्त ब्रजेन्द्र द्वारा बताया गया कि दिसम्बर 2022 को उसने अपने साथियों धनपत पुत्र देवीदीन अनुरागी, हेमेन्द्र राजपूत पुत्र भारत व पुष्पेन्द्र उर्फ मुन्नू राजपूत पुत्र भगत सिंह के साथ मिल कर ग्राम इमिलिया में घर में घुस कर चोरी की घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में थाना मुस्करा पर मु0अ0स0 277/22 धारा 457/380 भा0दं0सं0 पंजीकृत है, जिससे बरामद माल को ग्वालियर म0प्र0 में बेचकर प्राप्त धन खाने पीने में खर्च कर दिये बस यही बरामद 6000/- रुपये उसके पास बचा है, आकाश राजपूत द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.02.2023 की रात्रि को उसने अपने सहयोगी आशीष, हृदेश व राघवेन्द्र के साथ मिल कर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे पर खडे ट्रक ड्राइवर से असलहा दिखा कर 02 पर्स लूटे थे जिसमें कुल 29000/- रुपये मिले थे जिसके सम्बन्ध में थाना मुस्करा पर मु0अ0सं0 67/23 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत है, साथ ही अपराधियों द्वारा दिनांक 24.11.2022 को थाना मुस्करा क्षेत्र के ग्राम पहाड़ी भिटारी में चोरी की घटना को कारित करना स्वीकार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मुस्करा पर मु0अ0सं0 261/22 धारा 457/380 भा0दं0सं0 पंजीकृत है, उपरोक्त अभियुक्त राघवेन्द्र को थाना जरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1) हृदेश राजपूत पुत्र अरविंद राजपूत निवासी ग्राम भैंसाय थाना मुस्करा हमीरपुर
- 2) आशीष राजपूत पुत्र अवधेश राजपूत निवासी ग्राम कदौरा थाना जलालपुर हमीरपुर
- 3) आकाश राजपूत पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम गहरौली थाना मुस्करा हमीरपुर
- 4) ब्रजेन्द्र राजपूत पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम पटरिया का डेरा थाना जलालपुर हमीरपुर

अभि० हदेश राजपूत पुत्र अरविंद राजपूत का आपराधिक इतिहास:-

क्रसं०	अ० सं०	धारा	थाना	जनपद
1	145/19	60 आबकारी अधि०	मुस्करा	हमीरपुर
2	253/22	323/504/506/452 आईपीसी	मुस्करा	हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. प्र०नि० मुस्करा विनोद कुमार 2. व०उ०नि० नन्द किशोर 3. उ०नि० अभिषेक | <ol style="list-style-type: none"> 4. का सुमित कुमार 5. जितेन्द्र कुमार 6. अनुज कुमार 7. चालक हरभूषण दुबे |
|--|---|

